तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में जारी
12-1-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 19-3-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
19-3-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-5-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
28-5-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 16-7-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
16-7-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 17-8-21 को पेश हो।	
17-8-21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। वास्ते पत्रावली विपक्षी के जवाब हेतु नियत दिनांक 24-9-21 को पेश हो।	
24-11-21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत भीम का खेड़ा [illegible] हुई वकील प्रार्थी ने ग्राम [illegible] तहसील माण्डल मे [illegible] 135 मे आराजी 717/222 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा मे प्रार्थी के पिता का नाम त्रुटिवश मोहन दरोगा अंकित कर दिया जब कि पिता का नाम सही सोहन दरोगा है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे सोहन दरोगा किये जाने का निवेदन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:49:49 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल की प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट का अध्ययन किया तथा पत्रावली मे संलग्न राशन कार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति, बैंक डायरी की फोटो प्रति व ग्राम पंचायत लिरड़िया द्वारा प्रमाण पत्र एंव अन्य जमाबंदी खाता सं. 194 प्रस्तुत की जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सोहन दरोगा ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेलियास पटवार हल्का कावड़ी तहसील माण्डल मे स्थित खाता सं. नया 135 मे स्थित आराजी नम्बर 717/222 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि मे राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम मोहन दरोगा के बजाय सोहन दरोगा अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:49:49 IST
Reason: SelfAttested